Department of Industry, Mines & Geology
Government of Jharkhand

DIPP Point No. 20

Question	Remarks
2b. Online Single Window System **Q:** Ensure that the single window provides clear timelines for addressing investor grievances	Yes, Single Window provides clear timelines for addressing investor grievances. There is an online system for registering grievances, which is addressed by the nodal officer of concerned dept. **within 5 working days.** Screenshots of grievances addressed are provided below
URL: http://advantage.jharkhand.gov.in/SingleWindow/app/webroot/pdf/Downloads/notification/state_grievance_redressat_committee.pdf http://advantage.jharkhand.gov.in/SingleWindow/complain_suggestions/complainSuggestion	

Screenshot:

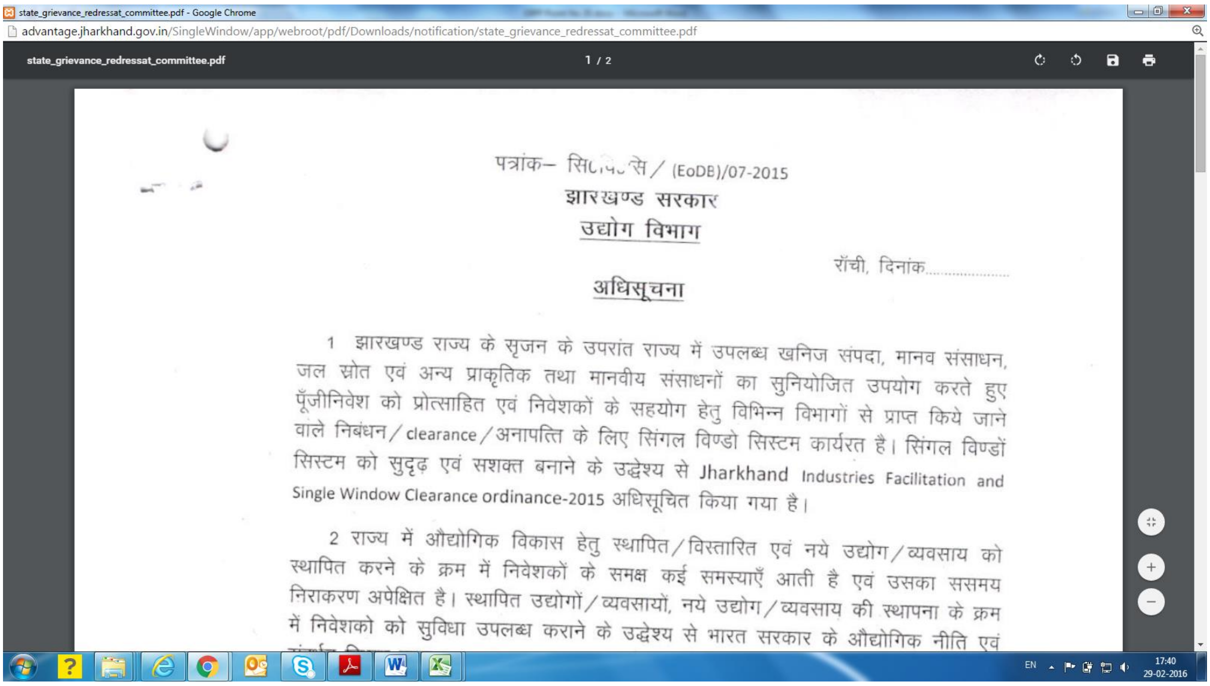
पत्रांक– सि०वि०से / (EoDB)/07-2015
झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

रॉंची, दिनांक..................

अधिसूचना

1 झारखण्ड राज्य के सृजन के उपरांत राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा, मानव संसाधन, जल स्रोत एवं अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करते हुए पूँजीनिवेश को प्रोत्साहित एवं निवेशकों के सहयोग हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त किये जाने वाले निबंधन/clearance/अनापत्ति के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम कार्यरत है। सिंगल विण्डों सिस्टम को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से Jharkhand Industries Facilitation and Single Window Clearance ordinance-2015 अधिसूचित किया गया है।

2 राज्य में औद्योगिक विकास हेतु स्थापित/विस्तारित एवं नये उद्योग/व्यवसाय को स्थापित करने के क्रम में निवेशकों के समक्ष कई समस्याएँ आती है एवं उसका ससमय निराकरण अपेक्षित है। स्थापित उद्योगों/व्यवसायों, नये उद्योग/व्यवसाय की स्थापना के क्रम में निवेशको को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं

पत्रांक– सि०नि०से / (EoDB)/07-2015

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

राँची, दिनांक....................

अधिसूचना

1 झारखण्ड राज्य के सृजन के उपरांत राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा, मानव संसाधन, जल स्रोत एवं अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करते हुए पूँजीनिवेश को प्रोत्साहित एवं निवेशकों के सहयोग हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त किये जाने वाले निबंधन / clearance / अनापत्ति के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम कार्यरत है। सिंगल विण्डों सिस्टम को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के उद्धेश्य से Jharkhand Industries Facilitation and Single Window Clearance ordinance-2015 अधिसूचित किया गया है।

2 राज्य में औद्योगिक विकास हेतु स्थापित / विस्तारित एवं नये उद्योग / व्यवसाय को स्थापित करने के क्रम में निवेशकों के समक्ष कई समस्याएँ आती है एवं उसका ससमय निराकरण अपेक्षित है। स्थापित उद्योगों / व्यवसायों, नये उद्योग / व्यवसाय की स्थापना के क्रम में निवेशको को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा Ease of Doing Business के अंतर्गत निरूपित कार्यक्रम केवल उद्योग विभाग से ही संबंधित नहीं है बल्कि भिन्न–भिन्न विभागों से संबंधित है।

निवेशको को अपने कार्यों के संपादन के निमित्त शिकायतें रहती है, उन शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के अंदर करना आवश्यक है। विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु State grievance redressal committee का गठन निम्नवत किया जाता है–

1. प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग – सदस्य
2. प्रधान सचिव / सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग – सदस्य
3. प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग – सदस्य
4. प्रधान सचिव / सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग – सदस्य
5. प्रधान सचिव / सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग – सदस्य
6. प्रधान सचिव / सचिव, उर्जा विभाग – सदस्य
7. प्रधान सचिव / सचिव, विधि विभाग – सदस्य
8. प्रधान सचिव / सचिव, श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग – सदस्य
9. प्रधान सचिव / सचिव, वाणिज्य कर विभाग – सदस्य
10. प्रधान सचिव / सचिव, राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग – सदस्य
11. आरक्षी महानिदेशक, झारखण्ड अग्निशमन सेवा – सदस्य
12. अध्यक्ष झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची – सदस्य
13. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड – सदस्य
14. निदेशक, उद्योग – संयोजक

3 वरीयतम अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभागों के प्रधान सचिव / सचिव को बैठक में आमंत्रित किया जाएगा जिनके विभागों से शिकायते संबंधित है।

5. अध्यक्ष के निर्णय के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर समिति के सामने शिकायतकर्त्ता उद्यमियों को विचार रखने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

6 यह समिति संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तावित Deemed Approval की संख्या, कारण पर विचार विमर्श करेगी एवं भविष्य में सेवा की निर्धारित समय–सीमा निर्धारित करने का सुझाव देगी।

7 उद्यमियों द्वारा शिकायत सिंगल विण्डों के पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज कराया जायेगा जो स्वतः संबंधित विभाग के Nodal Officer को ऑनलाईन प्राप्त हो जायेगा। उद्यमियों को शिकायत प्राप्ति की सूचना SMS / e-mail द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

8 संबंधित विभाग द्वारा पाँच कार्य दिवस के अंदर शिकायतो से संबंधित उत्तर ऑनलाईन दिया जायेगा, जो स्वतः SMS/e-mail से शिकायतकर्त्ता को प्राप्त हो जाएगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा संबंधित सेवाओं को निर्धारित समय के अंतर्गत झारखण्ड सेवा ... अधिनियम – 2011 तथा अधिसूचना, SOP, तथा अन्य प्रावधानों के अंतर्गत ... का पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचनाएँ उपलब्ध करायेंगे ...

Notification providing clear timelines for addressing investor grievances

9 इस समिति की बैठक प्रत्येक माह के अंतिम बुधवार को होगी। ... अवकाश या अन्य कोई गतिरोध है तो दूसरे कार्य दिवस में बैठक होगी। इस बैठक के संचालन हेतु सिंगल विन्डों सिस्टम प्रभाग अधिकृत होंगे।

उक्त पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड सरकार के असाधारण राजपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(उदय प्रताप सिंह)
26/10/2015
सरकार के प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, झारखण्ड, रॉची

ज्ञापांक 3259 /रॉची, दिनांक 26/10/2015
सि0वि0सि / (EoDB)/02-2015

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, झारखण्ड, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड गजट की आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट के 100 मुद्रित प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के प्रधान सचिव
26/10/2015

ज्ञापांक 3259 /रॉची, दिनांक 26/10/2015
सि0वि0सि / (EoDB)/02-2015

प्रतिलिपिः महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय मुख्य मंत्री / उद्योग मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड / सभी उपायुक्त / सभी प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / प्रबंध निदेशक, औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, रॉची / प्रभारी, सिंगल विण्डो सिस्टम, नेपाल हाउस, रॉची / सभी महाप्रबंधक,जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
26/10/2015

Department of Industry, Mines & Geology
Government of Jharkhand

SNAPSHOTS SHOWING USAGE OF ONLINE GRIEVANCE SYSTEM ON SINGLE WINDOW PORTAL

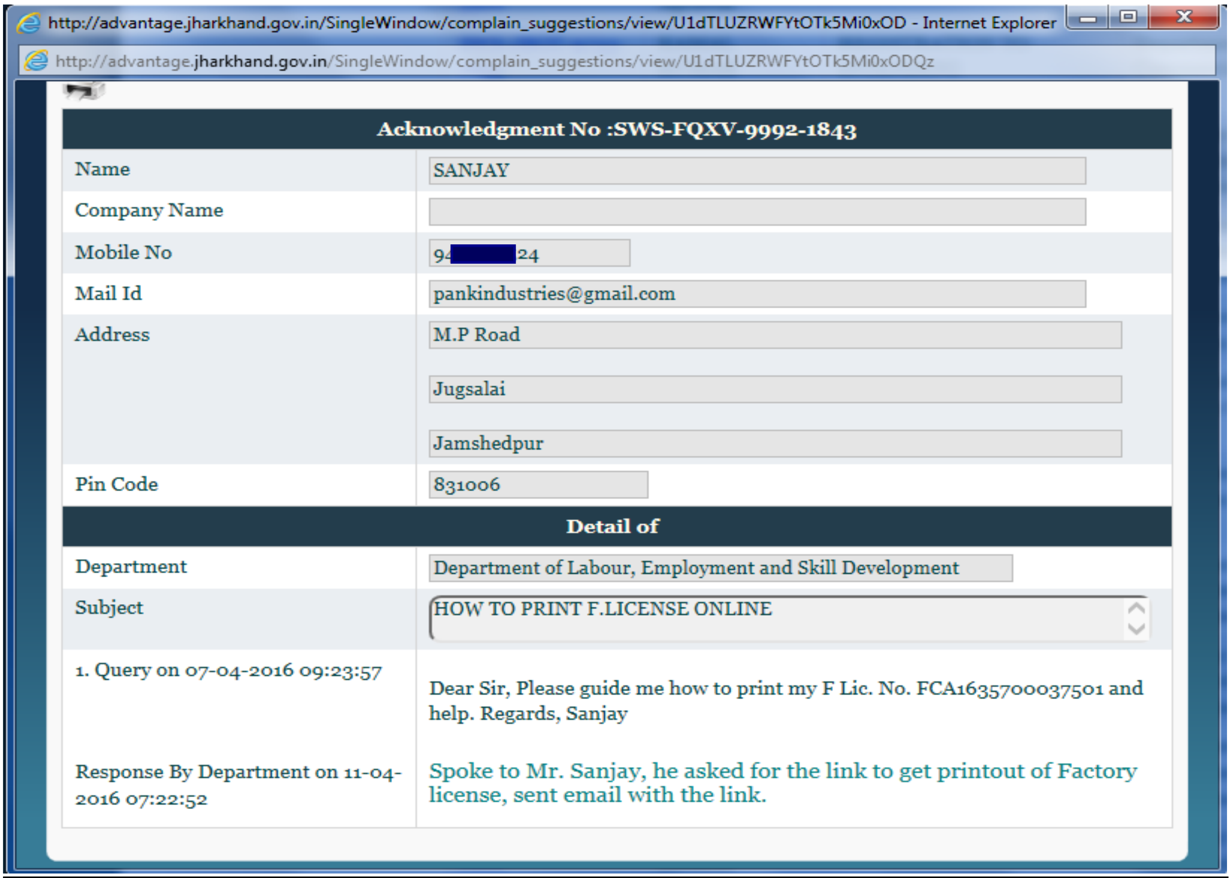

Department of Industry, Mines & Geology
Government of Jharkhand

झारखण्ड सरकार

http://advantage.jharkhand.gov.in/SingleWindow/complain_suggestions/view/U1dTLUhFQUYtNzE0OS04OD - Internet Explorer

http://advantage.jharkhand.gov.in/SingleWindow/complain_suggestions/view/U1dTLUhFQUYtNzE0OS04ODE4

Acknowledgment No :SWS-HEAF-7149-8818	
Name	OM PRAKASH KAPOOR
Company Name	KAPOOR BROTHERS & CO
Mobile No	94[redacted]8
Mail Id	kapoorco@yahoo.com
Address	sindri sindri dhanbad
Pin Code	828122
Detail of	
Department	Department of Industries
Subject	NEED WEB ADDRESSS FOR PAYMENT PROCESS FEE FOR LAND
1. Query on 07-04-2016 09:45:49	sir, I WANT TO PURCHASE LAND UNDER BIADA FOR SINDRI IND.AREA, WHERE I WANT TO PAY PROCESSING FEE ON LINE FOR RS. 10,000/- I HAVE NET BANKING BUT UNABLE TO SEARCH THE WEB ADDRESS BY WHICH I SHALL MAKE PAYMENT FOR THE SAME PL GUIDE ME.
Response By Department on 11-04-2016 07:34:12	The applicant went to BIADA office, filled up the land acquisition form and was eventually successful in paying the processing fees of Rs. 10,000.

Acknowledgment No :SWS-GRMB-5188-6454	
Name	Ravi
Company Name	
Mobile No	9[redacted]5
Mail Id	RAVIBARNWALSW@GMAIL.COM
Address	NARAYAN PRASAD\PINTU KUMAR MANITOLAKAILASH NAGAR HINOO DORANDA RANCHI JHARKHAND
Pin Code	834002
Detail of	
Department	Department of Commercial Taxes
Subject	issue Regading submission of vat form
1. Query on 25-06-2016 02:46:58	SIR, MAINE 23-05-2016 KO SINGL WINDOW SE FORM VAT K LIYE APPLY KIYA, PLACE OF BUSINESS KI ENQUIRY V HO GYI. USKE BAD CTD RAMGARH CIRCLE NE YE KAHTE HUYE REJECT KR DIYA KI AAPKA SALE AND PURCHASE NHI HO RHA H . BUT UNHONE SINGLE WINDOW K PORTAL PR ISKI REJECTION KI SUCHNA UPLOAD NHI KIYA AUR CONTACT KRNE PR V KOI DECISION NHI HO RHA H.IS KARN SE MERA INDUSTRIES KA SARA KAM RUKA HUAA.JABKI MUJHE BTAYA GYA THA KI 1DAYS M VAT NU. DIYA JAYEGA JABKI AAJ KARIB 1 MONTH SE JYADA HO GYE. AISE ME NYI INDUSTRIES KAISE LGEGI AGR INVESTOR KO IS TRH SE PRESAN KIYA JAYEGA.
Response By Department on 27-06-2016 12:41:36	You had to apply under section 25(10) of JVAT 2005, whereas you have applied under section 8(5), that is why, enquiring authority for purchase and sale invoice. You are advised to file a fresh registration application under section 25(10) as intending manufacturer, with relevant documents.

Department of Industry, Mines & Geology
Government of Jharkhand

ारखण्ड सरकार

Acknowledgment No :SWS-LICC-3574-3523	
Name	RANA
Company Name	RENO VISION EXPORTS PVT. LTD.
Mobile No	787[redacted]
Mail Id	ranakrjcb@gmail.com
Address	ROAD NO-4 HARI OM NAGAR ADITYAPUR-1, JAMSHEDPUR
Pin Code	831013
Detail of	
Department	Department of Labour, Employment and Skill Development
Subject	REGARDING CHANGE IN TYPE OF FACTORY
1. Query on 23-06-2016 09:35:54	Sir, I have filled a online application for the new registration of factory licence in the Shramadhan portal but sir in the place of Type of factory I had selected Non-hazardous Factory and completed the whole procedure including payement process. But later we came to know that our firm belongs to Dangerous process industry.To do the changes I had generated ticket but they regreted to do any sort of changes and also the factory inspector office is not accepting the form. So please kindly look into the matter and sort out the issue as early as possible. My application Id is. FCA16052100011 for the Shramadhan Portal. View User Uploaded Doc
Response By Department on 27-06-2016 10:43:24	Sir, Your grievance has been forwarded to Factory Inspector and it will be resolved within 24 hours. Regards

Acknowledgment No :SWS-ATQA-2779-9322	
Name	RAVI
Company Name	SPECTRA SUPER ALLOYS LIMITED
Mobile No	9[redacted]7
Mail Id	marketing_ssal@outlook.com
Address	H. NO.8 ROAD NO.5, C H AREA(NORTH) BISTUPUR, JAMSHEDPUR
Pin Code	831001
Detail of	
Department	Department of Commercial Taxes
Subject	DISALLOWANCE OF INPUT OF VAT AGAINST CST SALES
1. Query on 22-06-2016 07:49:46	Respected Sir/Madam We wish to draw your kind attention on the fact that recently we have received a notice from Department of Commercial Taxes and they disallowed us the Input of VAT against CST Sales on proportionate basis, such is due to retrospective amendment w.e.f. from April-15 in State VAT Laws made by state government in Feb-16, the amount of disallowance comes to Rs.9.50 lacs (approx) which is huge for us and we are not is position to pay such huge amount. So we request you to please suggest us what to do in that case. Thanking you. yours faithfully Ravi Kumar Todi Enclosure: Calculation sheet of Disallowance of Input View User Uploaded Doc
Response By Department on 27-06-2016 12:49:31	As per S.O.-35/ 2015-99LEG, dated 23/09/2015, the ITC under section 18 of subsection 4 in clause 2, the act has been amended in the following manner. "As per the existing provision, sale in course of inter state trade and commerce falling under sub section 1 of section 8 of CST Act 1956, under (74 of 1956), a provisio shall be added in the following manner, provided, that the input tax credit on purchases sold in course of inter state trade or commerce shall be allowed only to the extent of the CST payable under CST Act 1956, under (74 of 1956), w.e.f. from 01.04.2015. Please contact Circle Incharge.